



उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् रुड़की (हरिद्वार)

पता: सुनेहरा रोड (मिक्ट-के. एल. पालीटेक्निक छात्रावास), कारीपुरी - 247 667
दूरभाष: 01332-266370, 266371 फैक्स 266349 Website: www.ubter.in

सेवा में

संस्था कोड - 044

निदेशक/प्रधानाचार्य
श्री देव भूमि इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी
ग्राम-मजहोन, पो-प्रोधा, प्रेमनगर, देहरादून।

पत्र संख्या: 583-713/उ.प्रा.शि.प./ए.आई.सी.टी.ई./सम्ब./2018-19

दिनांक 29-05-2018

विषय:- डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु संस्था को शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु परिषद् द्वारा सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने विषयको।

महोदय,

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के अनुमोदन पत्र सं० FNo. Northern /1-3512347811/2018/EOA दिनांक 04 अप्रैल 2018 के क्रम में आपके संस्थान को उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्, रुड़की द्वारा सत्र 2018-19 हेतु परिषद् से निम्न शर्तों के अधीन सम्बद्धता विस्तार (Extension of Approval) प्रदान की जाती है।

Course (s)	Level	Approval Intake	Shift	Duration of Course (s)	Period of Approval
Mechanical Engineering	Diploma	60	1st	03 years	2018-19
Civil Engineering	Diploma	60	1st	03 years	2018-19
Electrical Engineering	Diploma	60	1st	03 years	2018-19
Automobile Engineering	Diploma	60	1st	03 years	2018-19
Civil Engineering	Diploma	60	1st	03 years	2018-19

शर्तें :-

- स्वीकृत प्रवेश क्षमता से अधिक संख्या में प्रवेश किसी भी परिस्थिति में न दिये जायें।
- उपरोक्त पाठ्यक्रमों हेतु परिषद् द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या समयबद्ध पूर्ण करना संस्थान की जिम्मेदारी होगी।
- ए.आई.सी.टी.ई. के कलेण्डर के अनुसार प्रथम सेमेस्टर/प्रथम वर्ष की कक्षाएं दिनांक : 1 अगस्त 2018 से प्रारम्भ की जाएंगी एवं तृतीय सेमेस्टर/द्वितीय वर्ष तथा पंचम सेमेस्टर/तृतीय वर्ष की कक्षाएं दिनांक : 16 जुलाई 2018 से प्रारम्भ की जाएंगी। तदनुसार संस्थान द्वारा निर्मित समय-सारणी परिषद् को 1 अगस्त 2018 से पूर्व उपलब्ध करायी जायेगी।
- निदेशालय/परिषद् द्वारा जारी शैक्षिक कलेण्डर (निदेशालय की वेबसाइट www.ukdte.org पर उपलब्ध) का अनुपालन करना होगा।
- AICTE/परिषद् द्वारा निर्धारित मानकों के परीक्षण हेतु उत्तराखण्ड शासन/निदेशालय/परिषद्/ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा पूरे सत्र में किसी भी कार्य दिवस में किसी भी समय संस्थान का आकस्मिक निरीक्षण किया जा सकता है।

6. प्रत्येक ब्रांच में परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या ही पढ़ायी जाएगी। पाठ्यचर्या परिषद की वेबसाइट www.ubter.in पर उपलब्ध है।
7. प्रत्येक संस्थान को अपनी सूचना दिग्दर्शिका (Information Booklet) प्रकाशित करनी होगी, जिसमें संस्थान के प्रत्येक Course/Programs का विवरण एवं Infrastructural Facility का विवरण तथा संस्थान में छात्रों को दी जाने वाली सुविधाओं का उल्लेख किया जाएगा।
8. AICTE मानकों के अनुसार संस्थान को "Prevention and Prohibition of Ragging in Technical Institutions" का पालन करना अनिवार्य होगा, जिससे संस्थान को पूर्णतः रेगिंग मुक्त रखा जा सके।
9. संस्थान द्वारा ए0आई0सी0टी0ई0 के मानकों के अनुरूप प्रधानाचार्य/स्टाफ की नियुक्ति की जायेगी।
10. यदि संस्थान किसी पाठ्यक्रम को बन्द करता है अथवा सीटों की संख्या में वृद्धि करता है, तो उसे ए0आई0सी0टी0ई0 का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
11. संस्थान के अन्दर Non Technical कोर्सेज प्रारम्भ नहीं किये जायेंगे।
12. संस्थान की एक अपनी वेब साईट होना अनिवार्य है, जिस पर समस्त सूचनायें अपलोड की जायेगी।
13. यदि कोई छात्र संस्थान छोड़ता है तो ए0आई0सी0टी0ई0 के नियमानुसार फीस वापस करनी होगी।
14. टी0एफ0डब्ल्यू के अन्तर्गत जिन छात्रों को सीट आवंटित होगी उनसे ट्यूशन फीस नहीं ली जायेगी।
15. संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलीटेक्निक-2018 के अन्तर्गत आयोजित काउंसिलिंग के माध्यम से आवंटित छात्रों को प्रवेश देना अनिवार्य होगा।
16. उत्तराखण्ड शासन/निदेशालय/परिषद द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का संस्थान द्वारा पूर्ण पालन किया जायेगा।
17. संस्थान परीक्षाओं को सुचारु, शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष एवं नकलविहिन सम्पन्न कराएगा।
18. निजी क्षेत्र के पॉलीटेक्निक संस्थाओं में उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1363/XXIV(8)/2009-03/04 दिनांक 27 अक्टूबर 2009 एवं 600/XXIV(8)/2010-51/2005 दिनांक 28 अप्रैल 2010 के अनुसार डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए रू0 35000/- प्रति वर्ष शुल्क निर्धारित है एवं डिप्लोमा फार्मेसी के लिए रू0 45000/- प्रति वर्ष शुल्क निर्धारित है। तदनुसार ही छात्रों से शुल्क लिया जायेगा। उसके अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।
19. डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने की दशा में संस्था को नियमित फार्मेसी काउंसिल ऑफ इण्डिया से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी एक या अधिक का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में संस्था की सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,


(हरि सिंह)
सचिव